

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार झा,
संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक- 22/09/2015

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के कार्यान्वयन हेतु आकस्मिक व्यय के लिए 1301-कार्यालय व्यय मद में कुल रू0 4,96,62,000/- (चार करोड़ छियानवे लाख बासठ हजार रूपये मात्र) व्यय की स्वीकृति।

आदेश :-स्वीकृत।

2. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्य शीर्ष 2029-भू-राजस्व-104-सरकारी संपदाओं का प्रबन्ध-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय-1301-कार्यालय व्यय माँग संख्या-40 विपत्र कोड एन 2029001040001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. सभी जिलों के लिए प्रति अंचल रू0 93,000/- (तेरानवें हजार रूपये मात्र) की दर से राशि निम्न रूप से स्वीकृत की जाती है। आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

क्रमांक	जिला का नाम	अंचल की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	पटना	23	2139000.00
2	नालन्दा	20	1860000.00
3	भोजपुर	14	1302000.00
4	बक्सर	11	1023000.00
5	रोहतास	19	1767000.00
6	कैमूर	11	1023000.00
7	छपरा	20	1860000.00
8	सिवान	19	1767000.00
9	गोपालगंज	14	1302000.00
10	मुजफ्फरपुर	16	1488000.00
11	वैशाली	16	1488000.00
12	सीतामढ़ी	17	1581000.00
13	शिवहर	5	465000.00



कृ.पू. 30

14	मोतिहारी	27	2511000.00
15	बेतिया	18	1674000.00
16	दरभंगा	18	1674000.00
17	समस्तीपुर	20	1860000.00
18	मधुबनी	21	1953000.00
19	सहरसा	10	930000.00
20	सुपौल	11	1023000.00
21	मधेपुरा	13	1209000.00
22	पूर्णियाँ	14	1302000.00
23	अररिया	9	837000.00
24	किशनगंज	7	651000.00
25	कटिहार	16	1488000.00
26	गया	24	2232000.00
27	जहानाबाद	7	651000.00
28	नवादा	14	1302000.00
29	औरंगाबाद	11	1023000.00
30	अरवल	5	465000.00
31	मुंगेर	9	837000.00
32	लखीसराय	7	651000.00
33	शेखपुरा	6	558000.00
34	जमुई	10	930000.00
35	खगड़िया	7	651000.00
36	बेगुसराय	18	1674000.00
37	भागलपुर	16	1488000.00
38	बाँका	11	1023000.00
	कुल	534	4,96,62,000.00

(चार करोड़ छियानवें लाख बासठ हजार रूपये मात्र)


4. राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 वि०/2 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में की जायेगी।



कृ०पृ०उ०

5. राशि का व्यय बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के कार्यान्वयन हेतु अधिष्ठापन/स्टेशनरी आदि पर अंचल कार्यालय हेतु कार्यालय व्यय के कार्यों पर किया जायेगा।
6. राशि की स्वीकृति प्रत्येक जिलान्तर्गत अंचलों की संख्या के आधार पर की गयी है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


21/9/15
(विनोद कुमार झा),

संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।


21-9

पटना- 15, दिनांक- 22-09-15

फैक्स
ई-मेल

ज्ञापांक..... 236 (10) /रा0

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट) बिहार, पटना/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी समाहर्ता/विभागीय प्रशाखा-5 (बजट) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


21/9/15
(विनोद कुमार झा),

संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।


21-9

पटना- 15, दिनांक- 22/09/15

फैक्स
ई-मेल

ज्ञापांक..... 236 (10) /रा0

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।


21/9/15
(विनोद कुमार झा),

संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।

21-9